विदेश मंत्रालय
(संयुक्त राष्ट्र राजनीतिक प्रभाग)
*****

सं : U.II/551/20/2016 दिनांक: 20 जून 2016

सेवा में,

सुश्री ऐश्वर्या पाराशर
101, नारायण टावर, एफ ब्लॉक
ईदगाह के सामने,
राजाजीपुरम, लखनऊ
उत्तर प्रदेश -226017

महोदया,

कृपया आपके द्वारा प्रेषित, आर टी आई प्रार्थना-पत्र सं "शून्य" दिनांकित 09 मई 2016, का संदर्भ लें, जो कि इस मंत्रालय को दिनांक 01 जून 2016 को प्राप्त हुआ है।

2. उपरोक्त आर टी आई प्रार्थना-पत्र में आपके द्वारा क्रमांक 1 पर मांगी गई जानकारी निम्नवत है:-

"भारत सरकार हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनाने के उद्देश्य से हिन्दी को विश्व स्तर पर और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किए गए प्रयासों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मंचों को भारतीय नेताओं द्वारा हिन्दी में सम्बोधित किया गया है ।

इन संबोधनों में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 69 वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को 27 सितंबर 2014 को संबोधित करना व संयुक्त राष्ट्र सतत विकास शिखर सम्मेलन को 25 सितंबर 2015 को संबोधित करना तथा माननीय विदेश मंत्री महोदया द्वारा 70 वें संयुक्त राष्ट्र महासभा को 01 अक्तूबर 2015 को हिन्दी में संबोधित करना सम्मिलित है। इन सम्मेलनों के हिन्दी संबोधनों के त्वरित अङ्ग्रेज़ी रूपान्तरण के लिए आवश्यक प्रबंध भारत के संयुक्त राष्ट्र स्थित स्थाई मिशन द्वारा किए गए थे।

विदेश मंत्रालय द्वारा विश्व हिन्दी सम्मेलनों का आयोजन भी इन्ही प्रयासों का अंग है। हाल ही में दसवें विश्व हिन्दी सम्मेलन का आयोजन भोपाल में 10 से 12 सितंबर 2015 तक किया गया था।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा स्थापित मारिशस स्थित विश्व हिन्दी

सचिवालय हिन्दी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए सतत कार्य कर रहा है। भारत सरकार के सतत प्रयासों ने संयुक्त राष्ट्र रेडियो द्वारा हिन्दी में भी प्रसारण सुनिश्चित किया है।

इन प्रयासों से संबन्धित जानकारी खुले स्रोत जैसे इन्टरनेट पर उपलब्ध है।"

3. आपके प्रार्थना पत्र के क्रमांक 2 पर मांगी गई जानकारी देने के लिए आपका आर टी आई प्रार्थना पत्र इस मंत्रालय के हिन्दी व संस्कृत प्रभाग के सक्षम प्राधिकारी को सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत स्थानांतरित किया जा रहा है। उक्त जानकारियों को उपलब्ध करने के साथ ही आपका आर टी आई प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है।

4. यदि आप उपरोक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो इससे संबन्धित अपील इस उत्तर की प्राप्ति से तीस दिनों के भीतर श्री विश्वेश नेगी, निदेशक व प्रथम अपीलीय अधिकारी संयुक्त राष्ट्र राजनीतिक प्रभाग, कक्ष संख्या 0102, जवाहर लाल नेहरू भवन, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली-110011, फोन 011-49018413 व फैक्स 011-49018412 को भेजी जा सकती है।

भवदीय

(डा. शैलेंद्र कुमार सक्सेना)
अवर सचिव व केंद्रीय जन सूचना अधिकारी
(संयुक्त राष्ट्र राजनीतिक प्रभाग)
कक्ष संख्या 0160, जवाहर लाल नेहरू भवन
विदेश मंत्रालय, 23-D, जनपथ, नई दिल्ली-110011
फोन-011-49018408

प्रतिलिपि:

1. उप सचिव (हिन्दी व संस्कृत प्रभाग) विदेश मंत्रालय को सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत इस अनुरोध के साथ कि वह आर टी आई प्रार्थना पत्र के क्रमांक 2 पर मांगी गई जानकारी प्रार्थी को उपलब्ध कराएं।
2. अवर सचिव (आर टी आई), विदेश मंत्रालय नई दिल्ली को सूचनार्थ।

JPO|427|RTI|MRA|16 Rs. 10

RTI (120)

3131

01/06/2016

सेवा में,

केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी,
विदेश मंत्रालय, भारत सरकार,
नई दिल्ली, भारत - 110001

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत आवेदन पत्र

9/3/2016

महोदय,

कृपया मुझे निम्नलिखित सूचना प्रदान करें:-

① हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 में किए गए (भारत सरकार द्वारा) प्रयासों से संबंधित रिकार्ड की सत्यापित प्रतियां दें।

② वित्तीय वर्ष 2011-12 से वित्तीय वर्ष 2016-17 तक की अवधि में भारत सरकार द्वारा विदेशों में हिन्दी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए व्यय की गई धनराशि की सूचना दें (वित्तीय वर्षवार दें।)

कृपया सूचना प्रदान करने की कृपा करें। भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या 33F 830158 मूल्य रु 10 संलग्न हैं।

धन्यवाद!

दिनांक : 09/05/16

प्रेषिका

Aishwarya

(ऐश्वर्या पाराशर)
101, नारायण टावर,
एफ ब्लाक, ईदगाह के सामने,
राजाजीपुरम, लखनऊ,
उत्तर प्रदेश, भारत - 226017.

(T) - Shri Saxena.
US(UNP) — PtI
DD(Hindi) - Pt2

1/6

SM
1/6

SO(RTI)